

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक सीएसी / 13-848सीएसी / 2000-111

दिनांक 01 जुलाई 2013

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
 2. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)
 3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो)
 4. समस्त सम्परीक्षा अधिकारी
 5. समस्त सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी
- उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय— यात्री दुर्घटना निधि एवं यात्री सुविधा निधि की दरो में संशोधन के संबंध में।

कृपया परिपत्र सं० 2103 सीएसी / 2009-848 सीएसी / 2000-111 दिनांक 10.12.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित यात्री दुर्घटना निधि एवं यात्री सुविधा निधि की दरो को निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 194वीं बैठक दिनांक 23.07.2013 के मद सं०-19 में यात्री सुविधा निधि की दरो को 0.25 पैसे कम कर यात्री दुर्घटना निधि में 0.25 पैसे की वृद्धि करते हुये निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

दूरी कि०मी०	यात्री दुर्घटना अधिभार	यात्री सुविधा अधिभार	आई०टी० अधिभार	योग (रु० में)
0-40	0.75	1.25	0.00	2.00
41-85	1.25	1.25	1.50	4.00
86-100	1.75	1.75	1.50	5.00
101-200	2.75	2.75	1.50	7.00
201 से अधिक	3.75	3.75	1.50	9.00

अतः यात्रियों से लिये जाने वाले कुल अधिभार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त दरे 01.04.2013 से प्रभावी होंगी। कृपया तदनुसार लेखांकन के कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक